पृष्ठ 1

R.M.M. Law College
Saharsa
Amrendra Kumar Trivedi
Part Time Law Teacher
Sub Evidence

अनुप्रमाणक – अनुप्रमाणक साक्षी वह व्यक्ति है जो निष्पादक के द्वारा निष्पादन करने वाले व्यक्ति को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये हुए देखा और उस पर हस्ताक्षर करता है या निष्पादन करने वाले व्यक्ति से स्वयं उस तरह की अभिस्वीकृति (Acknowledgment) प्राप्त करने के बाद उसने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये है उसपर अपना हस्ताक्षर करता है, किसी दस्तावेज का पक्षकार उसका अनुप्रमाणक साक्षी नहीं हो सकता है। अनुप्रमाणक का अर्थ यह होता है कि दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति स्वेच्छा से अपना हस्ताक्षर किया है, दस्तावेज की अर्न्तवस्तु के ज्ञान की उपधारणा नहीं की जा सकती है।

यदि दस्तावेज लिपिक ने उसपर हस्ताक्षर किये है तो उसका मात्र उद्देश्य दस्तावेज पर लिखी बातों को उसके सामने के राजी खुशी से लिखा गया हो। परिस्थिति वश दस्तावेज लिपिक अनुप्रमाणक के हैसियत से नहीं बल्कि लिपिक की हैसियत से हस्ताक्षर किया हो और अन्ततः लिपिक लिखा किया होता जिसे दस्तावेज

Scanned with CamScanner

अधिक महत्व मिलना चाहिए क्योंकि बयानों के सम्बन्ध में भूल आसानी से हो सकती है और और उसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। किसी साक्षी के रूप में बुलाया जाता है तो वह अपने विचारों को किसी अन्य प्रकार से व्यक्त कर सकता है जिससे वे न्यायालय के आ सके। वह अपने विचार लिखकर भी दे सकता है। न्यायालय के जो वह लिखकर देगा वह साक्ष्य अधि० 119) की व्याख्या में गिनती होगी।

एक न्यायालय में अपने होश हवास में थी किन्तु बोलने असमर्थ थी अभियोक्त्री से यह प्रश्न किया गया कि क्या अभियुक्त व्यक्ति ने उसको चोट पहुंचाई थी? और उसने यह भी कहा कि यदि ऐसा हो तो वह प्रश्न पूछने वाले के हाथ को दबाये। उसने हाथ दबाना उपरोक्त साक्ष्य माने गए।"

सामान्यतः दस्तावेजी साक्ष्य की अपेक्षा मौखिक साक्ष्य कम सन्तोषप्रद होता है और उच्च न्यायालयों ने इस विषय पर कड़ा ~~मत~~ कड़ा मत व्यक्त किए हैं। किन्तु मौखिक साक्ष्य कैसा भी क्यों न हो बिना उसके न्याय प्रशासन का कार्य चल नहीं जा सकता यदि मौखिक साक्ष्य ऐसा न हो जिस पर विश्वास न किया जाए तो ~~[illegible]~~ उसकी जाँच सावधानी से ही

प्रतिकूल और सम्भावनाएं बनती हैं। इस परीक्षण करना आवश्यक माना गया है।

अविश्वास कि साक्षी का कथन एक विशिष्ट बात में असत्य पाया जाता तो उसका सम्पूर्ण कथन असत्य माना जायेगा। क्योंकि अधिकांश गवाही में सत्य और असत्यता भी पायी जाती है तो ऐसी स्थिति कि सारी गवाही को झूठी नहीं मानी जा सकती) बहुत साक्ष्य में कुछ न कुछ बनावट रहती ही है। ऐसा बहुतायत देखा है कि कोई साक्षी महत्वपूर्ण विषय पर झूठ बोलता है और प्यार के लालच में ऐसा होता रहा है। किसी महत्वपूर्ण विषय में साक्षी झूठ बोलता है तो उस बात का महत्वपूर्ण भाग अविश्वसनीय माना जायेगा।

विवाद के तथ्य को न्यायालय में साबित करने के लिये डाक्टर्स, बारात, निमंत्रण कार्ड या एक साथ खींची गई फोटो हो तो ऐसे सबूत न्यायालय के सामने पेश होनी चाहिए। ताकि एक मुकम्मल वाद का फैसला न्यायोचित हो सके।